न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 130/2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

पियुष खिवनाथ वगैराह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰

उपस्थिति :- वादीगण - श्री पारस चौहान, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1व 2- श्री मदनलाल रावल, अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :-** 29/07/24

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आधार का पेश किया कि वादीगण नाबालिक की ओर से कुदरती वालिया माता संगीता देवी बताकर वाद प्रस्तुत किया है, जो वाद पत्र बिना किसी वैद्य आधारों एवं बिना किसी दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया था। मात्र वादीगण ने झूठी साक्ष्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया था। जिसका जवाब प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत कर दिया गया है। अवयस्क बच्चे नैसंर्गिक संरक्षक पिता होता है, पिता के मृत्योपरान्त पश्चात या न्यायालय द्वारा हटाये जाने पर, उसकी माता को नैसर्गिक संरक्षक मानी जाती है। उल्लेख रहे कि इस राजस्व वाद पिता जिवित है तथा किसी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक पिता को नैसर्गिक संरक्षक से हटाने के आदेश या डिग्री पारित नहीं गयी है। ग्राम पिचियाक में खसरा नंबर 935 प्रतिवादी सं. 1 दादा खीवनाथ की संयुक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि नहीं है। वह स्व-अर्जित सम्पति है। अतः वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई हक नहीं है। उक्त वाद बिना किसी कारण के प्रस्तुत किया हैं। वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व वादपत्र के साथ वादीगण ने एक स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, जो विधि के विरूद्ध है। स्पष्ट प्रावधान है, प्रतिवादी सं. 1 दादा खीवनाथ स्व-अर्जित सम्पति होने कारण पौत्र वादीगण को कोई हक नहीं है। एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा बैचान या हस्तांतरण के विरूद्ध वादीगण द्वारा निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जा सकती है। ऐसी मांग विधि के विरूद्ध जो वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार चलने योग्य नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जो प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। वह बिल्कुल झूठा एवं अवैध आधारों के पेश किया है जो खारिज योग्य है एवं प्रस्तुत वाद सव्यय हर्जा खर्चा के साथ के खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में वादीगण द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 02 संतोषनाथ ने नाबालिंग वादीगणो को मारपीट करके घर से निकाल दिया था जो नाबालिंग वादीगण अपनी माता के पास ग्राम सहवाज मे निवास करते है। यदि प्रतिवादी संख्या 02 संतोषनाथ अपनी नाबालिंग सन्तान का भरण पोषण करने में असमर्थ रहा है वादीगण का पिता जीवित है मगर प्रतिवादी संख्या 02 अपनी सन्तान को अपने पास रखने से भी इन्कार कर चुका है तथा भरण पोषण करने से भी इन्कार कर चुका है । इसलिये वादीगण नाबालिंग होने के कारण माता की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया है। नैसार्गित संरक्षक पिता के संरक्षक रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 02 पैतृक जायदाद को किसी अन्य को बेचान कर देगा। जिससे नाबालिग वादीगण का भरण पोषण कठिन हो जायेगा । वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के दादा की है जो दादा की भूमि मे पोते का हक हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगण का हक हिस्सा बनता है जिसमे प्रतिवादी संख्या 02 दो को अपनी पिता की जमीन मे से किसी भी प्रकार के हक हिस्से की भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही है। दादा की जमीन मे पोते का हक हिस्सा बनता है जिसको इन्कार नहीं किया जा सकता है। दादा की जमीन मे पोते का हक हिस्सा होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 दो जो वादीगण का पिता है प्रतिवादी संख्या 01 एक से मिली भगत कर वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बेचान करने एवं खुर्द बुर्द करने की धमकी देने के कारण वादीगण ने जरिये कुदरती वलिया माता जो भी एक संरक्षक है के जरिये माननीय न्यायालय मे वाद पेश किया है। इस प्रकार एक पिता अपनी सन्तान को अनाथ की तरह छोड़ देता है तो उसकी माता ही संरक्षक रहती है। प्रतिवादी संख्या 02 दो वादीगण का पिता होने के कारण नाबालिंग वादीगण का लालन पालन नही करने के कारण उक्त वाद पेश करने की नौबत आई है। यदि प्रतिवादी संख्या 02 दो अपने नाबालिंग सन्तान का भरण पोषण आदि कर देता तो वाद की कोई नौबत नही आती थी। इस प्रकार वादीगण का वाद यदि झूठे दस्तावेजो के आधार पर खारीज कर दिया तो वादीगण का एक मात्र भरण पोषण का सहारा जो वादग्रस्त जमीन मे अपना हक हिस्सा है से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे एवं भरण पोषण के अभाव मे नाबालिंग वादीगण का जीवन चलान कठिन हो जायेगा जो कानून एवं न्याय की मंशा कतई नही है।

अतः जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र भारी खर्चे हर्जे के साथ खारीज किया जावे एवं वादी का वाद कायम रखा जावे ।

उभय पक्षकारान की अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण नाबालिक की ओर से कुदरती वालिया

माता संगीता देवी बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि THE HINDU MINORTY GURARDIANSHIP ACT 1956 धारा 6 के तहत अवयस्क बच्चे नैसर्गिक संरक्षक पिता होता है पिता के मृत्योपरान्त पश्चात या न्यायालय द्वारा हटाये जाने पर उसकी माता को नैसर्गिक संरक्षक मानी जाती है। न्यायिक दृष्टान्त

1. **श्रीमति मंगला देवी बनाम रनबहादुर थापा, 1975 H.L.R.283**
2. **श्रीमति गंगा बाई बनाम भेरूलाल AIR 1976 राजस्थान 153**
3. **पी.टी. चाथू चेट्टियार बनाम करायत कुनुम्माल कनारन AIR 1984 करेल**

उल्लेख रहे कि इस राजस्व वाद में पिता जीवित है। तथा किसी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक पिता को नैसर्गिक संरक्षक से हटाने के आदेश या डिग्री पारित नहीं गयी है। तथा वादीगण की माता संगीता को संरक्षता एवं प्रतिपाल्या अधिनियम, 1890 की धारा 4, 5, 7 के अन्तर्गत किसी न्यायालय ने संरक्षक नियक्त नहीं किया है। वादपत्र निरस्त योग्य है।

राजस्व ग्राम पिचियाक में खसरा नंबर 935 प्रतिवादी सं. 1 दादा खीवनाथ की संयुक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि नहीं है। वह स्व अर्जित सम्पति है। स्वअर्जित भूमि के न्यागमन ठीक उसी तरह होगा जैसे- हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अधिकारी वारिस अनुसूची के वर्ग 1 निम्न पुरूष उतराधिकारी है- 1. पुत्र, 2. मृतक पुत्र का पुत्र-प्रपोत्र, मृतक के पुत्र मृतक पुत्र का पुत्र-प्रपोत्र होता है। इस प्रकरण में वादीगण जो प्रपोत्र है के दादा व पिता जीवीत है दादा की स्व अर्जित सम्पति में पोता सीधा वारिस नहीं माना गया है। अतः वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Beerddy Dasratharami V\s v.manjunath 2021 sc 13853 लेड मार्क जजमेंट- दादा की मृत्यु पर पैतृक संपति सीधे पोते को नहीं, बल्कि पिता को मिलती है, दादा के जीवनकाल में पैतृक सम्पति बेचने के विरूद्ध पोता निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता है।** इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 2023/14 S.C.R गीता डी/ओ लेट कृष्णा बनाम नंजुंदास्वामी 158 में स्पष्ट किया कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत उपचार एवं विशेष उपाय है कि विधि के विरूद्ध ऐसी मुकदमेंबाजी को समाप्त किया जाना चाहिए।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सीपीसी आदेश 7 नियम 11 ध के तहत वाद पत्र के कथन विधि द्वारा वर्जित है। खारीज किया जाना चाहिए।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 935 रकबा 4.1664 हैक्टयर में खातेदार खीवनाथ पुत्र चेलनाथ का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादीगण द्वारा वादपत्र के अनुसार पैरा सं. 2 में वर्णित वंशावली के अनुसार खातेदार खीवनाथ के पौत्र के रूप में दर्शाया है। वादीगण द्वारा

वादग्रस्त आराजी में बाबत खातेदारी घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा खसरा नंबर 935 की संपति को पैतृक संपति के आधार पर वाद पत्र पेश किया गया। किन्तु पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में बैचाननामा के अनुसार राजस्व ग्राम पिचियाक के खसरा नंबर 935 खातेदार खीवनाथ पुत्र चेलनाथ द्वारा खरीदी गई स्व-अर्जित संपति है जो कि पैतृक संपति नहीं है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पौत्र केवल पैतृक संपति में हिस्से के लिए वाद ला सकता है स्व अर्जित संपति के लिए नहीं। वादीगण नाबालिक होने से कुदरती वलिया माता संगीता पत्नी संतोषनाथ द्वारा वादपत्र पेश किया गया जबकि वादीगण के पिता जीवित है। **संतान की अभिरक्षा एवं संरक्षक की नियुक्ति- हिन्दु अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 के अधीन एक बालक के मामले में उसकी शरीर एवं सम्पति बाबत नैसर्गिक संरक्षक उसका पिता होता है। और उसके मृत्योपरान्त माता उसकी नैसर्गिक संरक्षक हो जाती है।** वादीगण जरिये कुदरती वालिया माता संगीता द्वारा पेश किया गया जो वाद पत्र विधि विरूद्ध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रतिवादी स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 02 अंतर्गत आदेश- 07, नियम- 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, वादीगण का वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी — बनाम — प्रतिवादी

पियूष — खिवनाथ वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 130/2024

निर्णय **दिनांक :–** 20/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पारस चौहान अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल रावल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 02 अंतर्गत आदेश–07, नियम– 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, वादीगण का वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/5/2025 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा